भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 335

दिनांक 15.09.2020/24 भाद्रपद, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

सीएपीएफ में कोविड-19 के मामले

335. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में कोविड-19 के मामलों की संख्या का पृथक रूप से ब्यौरा क्या है;
(ख) विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या का पृथक रूप से ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सीएपीएफ में कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवार को कोई विशेष मुआवजा दिया गया था;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पुलिस बल-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय)

(क) और (ख): दिनांक 10.09.2020 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों तथा कोविड-19 के कारण हुई मौतों का बल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

बल का नाम	**कुल पॉजिटिव मामले**	**मौतों की संख्या**
बीएसएफ	8083	23
सीआरपीएफ	8270	35
सीआईएसएफ	1312	24
आईटीबीपी	3067	7
एसएसबी	2869	6
एनएसजी	212	0
असम राइफल्स	1605	5
कुल	**25418**	**100**

लोक सभा अता, प्र.सं.335 दिनांक 15.09.2020

(ग) से (ङ): जी, हां। सीएपीएफ कार्मिक की मृत्यु होने पर उन्हें उपलब्ध होने वाले सामान्य लाभों के अतिरिक्त, कोविड-19 संबंधी ड्यूटी पर तैनाती के दौरान कोविड-19 से हुए संक्रमण के कारण सीएपीएफ कार्मिक की मृत्यु होने पर, "भारत के वीर" कोष के माध्यम से उनके निकटतम संबंधियों को 15 लाख रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

*****